Fundamental Duties (मूल कर्तव्य)

1950 में लागू किए गए भारतीय संविधान में नागरिकों के केवल मौलिक अधिकारों का ही उल्लेख किया गया था, मूल कर्तव्यों का नहीं, लेकिन 1976 में संविधान का व्यापक संशोधन करते समय यह अनुभव किया गया कि संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों का भी उल्लेख किया जाना चाहिए। अतः संविधान के चतुर्थ भाग के बाद भाग 'चतुर्थ क' जोड़ा गया, जिसमें दस मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की गई। सन् 2002 में अधिनियमों के लिए 6 से 14 वर्ष के अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करने का कर्तव्य जोड़ देने से अब नागरिकों के निम्नांकित 11 कर्तव्य इस प्रकार हैं।

(i) भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे।

(ii) स्वतन्त्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे।

(iii) भारत की प्रभुता, एकता और अखण्डता की रक्षा करे और उसे बनाए रखे।

(iv) देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे।

(v) भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का विकास करे, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो और ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है।

(vi) हमारी समन्वित संस्कृति की गौरवशाली परम्परा का महत्व समझे और उसका संरक्षण करे।

(vii) प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अन्तर्गत वन, झील, नदी और अन्य जीव भी है, रक्षा करे और उनका संवर्द्धन करे तथा प्राणिमात्र के प्रति दया भाव रखे।

Avinash

(viii) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें।

(ix) सार्वजनिक सम्पत्ति को सुरक्षित रखे व हिंसा से दूर रहे।

(x) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरन्तर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नवीन ऊंचाइयों को छू सके।

(xi) 86 वें संवैधानिक संशोधन, 2002 द्वारा अनुच्छेद 51 क में संशोधन करके, ~~xxxx~~ प्रारम्भिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाने के उद्देश्य से अभिभावकों के लिए भी यह कर्तव्य निर्धारित किया गया कि वे छः से चौदह वर्ष के अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें।

Avinash